

:: आदेश ::

प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक-09.07.2019 में पारित प्रस्ताव संख्या-10 द्वारा उत्तर प्रदेश शासन वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-8/2018/जी-2-290/दस-2018-626/2000 दिनांक 07.12.18 के क्रम में प्रधान कार्यालय आदेशांक-18604/स्थापना/02/79/वाहन अनुरक्षण भत्ता/2013-14 दि0-03.08.13 द्वारा अनुमन्य वाहन अनुरक्षण (साइकिल) भत्ते की दरों में निम्नवत् संशोधन किया जाता है।

क्र० सं०	वाहन का नाम	वाहन भत्ता की वर्तमान दर (रूपया प्रतिमाह)	वाहन भत्ता की पुनरीक्षित दर (रूपया प्रतिमाह)
1	2	3	4
1	साइकिल	100.00	200.00

पुनरीक्षित दरे दिनांक 01.10.2020 से इस शर्त के साथ लागू की जाती है कि, सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा सक्षम अधिकारी को संलग्न प्रारूप पर प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त ही देय होगा।



(ए०के० सिंह)

प्रबन्ध निदेशक

उ० प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

आदेशांक:- 26906 /स्थापना/20-21

दिनांक: 06.10.2020

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1- समस्त शाखा/वरिष्ठ/क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त योजनाधिकारी, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय लखनऊ।
- 3- आहरण एवं वितरण अधिकारी, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय लखनऊ।
- 4- प्रबन्धक, (आई०टी० सेल), को बैंक की शाखाओं की ई-मेल पर अपलोड कराने हेतु।



(अमय सिंह)

महाप्रबन्धक (प्रशासन)